राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
State Eligibility Test Cell
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
(नोडल एजेन्सी)
रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)

विज्ञापन क्रमांक 01/सेट/परीक्षा/2023	दिनांक 08/01/2023
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि 27/01/2023	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/02/2023 दोपहर 12:00 बजे तक
त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलम्ब शुल्क के अभ्यर्थियों हेतु 01/02/2023 से 28/02/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
विलंब शुल्क के साथ I ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 01/03/2023 से10/03/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क I के अभ्यर्थियों हेतु 02/03/2023 से 14/03/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
विलंब शुल्क के साथ II ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 15/03/2023 से 21/03/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क II के अभ्यर्थियों हेतु 17/03/2023 से 24/03/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
राज्य पात्रता परीक्षा - 2022 (सहायक प्राध्यापक पद भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा)	
मध्यप्रदेश सेट-2022	
महत्वपूर्ण	

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु राज्य पात्रता परीक्षा - 2022 का आयोजन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर (नोडल एजेंसी) के माध्यम से करने जा रहा है।

1. राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) - 2022, ऑफलाइन विधि से आयोजित होगी। सेट 2022 में 02(दो) प्रश्न-पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य):- सामान्य प्रश्न-पत्र :- शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude)वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्न 50 (पचास) होंगे । अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 (सौ) अंकों का होगा एवं परीक्षा अवधि एक घंटा (60 मिनिट) होगी ।

   द्वितीय प्रश्न पत्र :- चयनित (ऐच्छिक) विषय का होगा। द्वितीय प्रश्न-पत्र में कुल 100 (सौ) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा । प्रश्न-पत्र पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतय: वस्तुनिष्ठ (Objective Type Question) प्रकार का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न :- सुमेलित टाइप, सत्य/असत्य, कथन कारणप्रकार के (Multiple Choice Question: Matching, True/False, Assertion Reasoning Type) होंगे। द्वितीय प्रश्न-पत्र कुल 200 (दो सौ) अंकों का होगा एवं परीक्षा अवधि दो घंटा (120 मिनिट) होगी । सेट 2022 की परीक्षा के दो प्रश्नपत्र होंगे । परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अन्तराल के तीन घंटेहोगी।

2. सेट-2022 हेतु आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किये जाएँगे, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन ही करना है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न नहीं करना है । केवल प्रावधिक रूप से सेट-2022 के प्रमाण-पत्र के लिये अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ के कार्यालय में व्यक्तिश: या रजिस्ट्र्ड/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा निर्दिष्ट अन्तिम तिथि तक जमा कराना होंगे । यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदकों को अर्हता प्रमाण-पत्रों से वंचित किया जाएगाव उसके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएंगी ।

3. वे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) 2017, 2018 में जिस विषय में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके हैं वे पुनः उसी विषय में सेट-2022 की राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें । जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षो में (2022 से पूर्व) यू.जी.सी. (नेट), सी.एस.आई.आर. (नेट), मध्यप्रदेश स्लेट/सेट के जिस विषय में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये हैं वे पुनः उसी विषय में मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2022, हेतु आवेदन न करें अन्यथा उन्हें प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जाएगा । सेट-2022 हेतु केवल एक ही विषय में आवेदन करें।

4. सेट परीक्षा के लिये आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा एवं एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकेंगा । परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

5. सेट परीक्षा- 2022 के लिये ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27.01.2023 से दिनांक 26.02.2023 www. mppsc.mp.gov.inपर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात विलंब शुल्क से आवेदन भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगी।

6. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें । ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 01-02-2023 से 28-02-2023 तक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, रु. 50/-त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक यह ध्यान रखें कि सेट-2022 के आवेदन -पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार बिना विलम्ब शुल्क के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 28-02-2023 के बाद नहीं किया जा सकेगा । अतः सेट परीक्षा का ऑनलाइनआवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें।

7. <u>विलंब शुल्क के साथ आवेदन</u>: निर्धारित तिथि के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवेदन करता है तो दिनांक 1-03-2023से 10-03-2023 (दोपहर 12;00 बजे तक) तक विलंब शुल्क रू. 3000/- के साथ आवेदन कर सकेगा। विलंब शुल्क देय अभ्यर्थी को यदि त्रुटि सुधार करना है तो इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, रु. 50/- शुल्क अतिरिक्त देय होगा। जो केवलदिनांक 02-03-2023 से दिनांक 14-03-2023 की अवधि के लिए होगा।

8. इस दिनांक के पश्चात विलंब शुल्क रू. 25,000/- के साथ दिनांक 15-03-2023से दिनांक 21-03-2023 (दोपहर 12;00 बजे तक) तक आवेदनभरे जा सकेंगे । रू. 25,000/- विलंब शुल्क देय अभ्यर्थी को यदि त्रुटि सुधार करना है तो इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, रु. 50/- शुल्क अतिरिक्त देय होगा। जो केवल दिनांक 17-03-2023से दिनांक 24-03-2023 तक की अवधि के लिए होगा । विलंब शुल्क से भी त्रुटि सुधार दिनांक 24-03-2023 दोपहर 12:00 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा और न ही अभ्यर्थी का कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा । अतः सेट परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें।

9. आवेदक यह ध्यान रखें कि सेट-2022 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार, त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के उपरांत नहीं किया जा सकेगा, यदि अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से सेट-2022 के प्रमाण-पत्र के लिये अर्ह पाया जाता है तो आयोग के द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर अभ्यर्थी के दस्तावेज परीक्षण हेतु आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को उपलब्ध कराने होंगे । यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी व अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के परीक्षण में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसे सेट-2022 के अर्हता प्रमाण-पत्र से वंचित किया जाएगा । अत: अभ्यर्थी परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे तथा त्रुटि सुधार की अवधि में ही वांछित सुधार करलें । त्रुटि सुधार के लिये दी गई तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का पश्चातवर्ती आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा ।

10. अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से सेट-2022 के प्रमाण-पत्र के लिये अर्ह पाया जाता है तो उसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी जिसमें दस्तावेज जमा कराने की अंतिम तिथि का उल्लेख होगा। आयोग के द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण हेतु दी गई समय-सीमा में उपलब्ध कराने होंगे । विलम्ब से दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्र से वंचित किया जाएगा । अत: निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेज आयोग कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा/व्यक्तिशः जमा कराने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा ।

11. अनारक्षित श्रेणी हेतु परीक्षा शुल्क रू. 500/- तथा आरक्षित श्रेणी हेतु रू.250/- निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गये आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रूपये 250/- त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गये आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

12. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा भरी गई विभिन्न जानकारी:- श्रेणी/ (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) / EWS दिव्यांगता), संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि व न्यूनतम अर्हता इत्यादि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगावसेट प्रकोष्ठ द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

13. इस विज्ञापन के अंतर्गत एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र सहित 36 ऐच्छिक विषयों हेतु पात्रता परीक्षा ऑफलाइन विधि से आयोजित की जाएगी। परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अन्तराल के तीन घंटे होगी। सेट परीक्षा दिनांक 04/06/2023 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की समय-सारणी एवं प्रवेश-पत्र संबंधी जानकारी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी ।

14. सेट परीक्षा के विज्ञापन एवं परिणाम के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिये गये E-mail address तथा मोबाइल नंबर पर, E-mailतथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुनिश्चित स्थान पर अपने E-mail address मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर का अवश्य उल्लेख करें। परीक्षा से संबंधित अन्य सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

15. राज्य पात्रता परीक्षा- 2022 हेतु आयोजित संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण/स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/ स्नातकोत्तर तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत् अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।

16. सेट-2022 परीक्षा में सम्मिलित 36 विषयों में से, जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षो में यू.जी.सी. (नेट), सी.एस.आई.आर. (नेट), मध्यप्रदेश - स्लेट के प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये हैं वे मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट-2022) हेतु यदि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में असत्य जानकारी देकर उसी विषय में राज्य पात्रता परीक्षा (सेट-2022) पुनः उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें सेट- 2022 का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकेगा व दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ।

17. पात्रता परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सेट प्रकोष्ठ को परीक्षा परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व आवेदक संपूर्ण विज्ञप्ति के निर्देश व नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न नही करना है । परन्तु यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदकों को अर्हता प्रमाण-पत्र से वंचित किया जायेगा व उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ।

19. प्रावधिक रूप से अर्हता प्रमाण-पत्र सेट-2022 के लिए अर्ह पाये गये अभ्यर्थी से आयोग द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर अभ्यर्थी को निर्धारित समय-सीमा में परीक्षण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

20. सेट परीक्षा में यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (INELIGIBLE) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका पात्रता प्रमाण-पत्र नही दिया जाएगा ।

21. समस्त आरक्षण मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में हैं, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), EWS, महिला-वर्ग आवेदक, दिव्यांगजन हेतु आरक्षण/आवेदकों को देय छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य राज्यों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को कोई छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं आवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग में भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किये जाएगे तथा इन्हें छूट का लाभ नहीं दिया जाएंगा ।

22. EWS वर्ग के अभ्यर्थी को केवल शैक्षणिक योग्यता एवं उत्तीर्ण अंक में 5 प्रतिशत छूट देय होगी । शुल्क में छुट की पात्रता नहीं होगी ।

23. अनारक्षित वर्ग की महिला आवेदकों को शुल्क शैक्षणिक योग्यता एवं उत्तीर्ण अंक में कोई छुट देय नहीं होगी । केवल महिला आवेदकों को दिया जाने वाला होरिजेन्टल आरक्षण देय होगा ।

24. विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्चशिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है।

25. मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 597, भोपाल दिनांक 21 नवम्बर 2022 में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा उच्चशिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापक पदों में निःशक्तजन की चार श्रेणी में से कॉलम 9 में उल्लेखित (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग, डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता) श्रेणी के दिव्यांगजनों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा एवं इस श्रेणी के आरक्षण प्रतिशत को अन्य तीन श्रेणियों में सम्मिलित किया जाएगा library and Information Scienceएवं Physical Education विषय के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की आरक्षित तीन श्रेणियों में से दृष्टिबाधित श्रेणी के उम्मीद्वार यह ध्यान रखें कि उक्त राजपत्र के अनुसार उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र.शासन ने दृष्टिबाधित और कम दृष्टि की श्रेणी के लिए ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पद आरक्षित नहीं किये हैं ।

26. राज्य पात्रता परीक्षा- 2022 की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है । इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई भी कम्पयूटर/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है ।

27. प्रावधिक रूप से सेट 2022 के परीक्षा परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग के द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर यदि अभ्यर्थीद्वारा दी गई जानकारी व अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायेगये दस्तावेजों के परीक्षण में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किये जाते है तो उन अभ्यर्थियों के स्थान पर अनुपूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) से अन्य श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु शामिल किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं । (सेट परीक्षा-2022 में परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात किसी प्रकार की अनुपूरक सूची (प्रतीक्षा सूची) तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है।

28. यह परीक्षा बिना अंतराल के एक ही सत्र में हो रही है। अतः अभ्यर्थी को दोनों प्रश्न-पत्र (अनिवार्य एवं ऐच्छिक) हल करना आवश्यक है ।

29. सेट-2022 परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । पात्रता के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर राज्य पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र अर्हता से वंचित किया जा सकेगा।

30. उक्त विज्ञापन की समग्र शर्तें एवं नियम अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं।

31. आयोग (सेट प्रकोष्ठ) की परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है, किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुँचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेट प्रकोष्ठ), रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.) को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

8/1/2023

परीक्षा नियंत्रक (सेट)
राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार-पत्र के आगामी अंक में किया जाएगा ।

एक: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः-

- अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालयअनुदान आयोग, 1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन विश्वविद्यालयसे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर तृतीय/ स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत् होने पर पात्र होगा।

- अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) EWS तथा निःशक्त अभ्यर्थियों) हेतु 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है।

- ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर तृतीय/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत् हैं तथा जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर तृतीय/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नही हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर तृतीय/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रावधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह हैं।

- उक्त अभ्यर्थियों के परीक्षा में पात्र होने पर भी अर्हता प्रमाण-पत्र तभी मान्य होगा, जब सेट परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो वर्ष में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी के (केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), EWS तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने के अभिलेख उनके द्वारा आयोग (सेट प्रकोष्ठ) में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । अन्यथा उन्हें अनर्ह घोषित किया जाएगा।

- ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर, 1991 तक पूर्ण हो चुकी है उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट (55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) देय होगी । **(The Ph.D. degree holders whose Master's level examination have been completed by 19th September 1991 (irrespective of date of declaration of result) shall be eligible for a relaxation of 5% in aggregate marks (i.e. From 55% to 50%) for appearing in SET)**

* ऐसे अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र हो, किन्तु उन्हे एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रकोष्ठ को प्रदान करना होगा कि उन्हें प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है।

टीप:-

1. सेट परीक्षा कुल 36 विषयों में आयोजित की जा रही है जिसमें संबंधित विषय(परिशिष्ट-1) में उल्लेखित स्नातकोत्तर विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारक/अध्ययनरत् अभ्यर्थी केवल एक विषय हेतु आवेदन कर सकेंगे।

2. ऐसे अभ्यार्थी जो एक से अधिक विषयों (स्नातकोत्तर विषयों) में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं, को एक ही मुख्य स्नातकोत्तर विषय हेतु अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी भ्रामक जानकारी दे कर दो विषयों में आवेदन करता है तो उसकी सत्यता ज्ञात होने पर पात्रता निरस्त की जाएगी अतः सेट-2022 परीक्षा हेतु अभ्यर्थी मात्र एक विषय में ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।

3. यू.जी.सी.(नेट)-2018 के प्रकाशित नोटिफिकेशन के पृष्ठ क्र. 20 वेबसाइट www.ugc.ac.in/oldpdf/consolidated%20list%20of%20All%20universities.pdf के अनुसार ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची के अंतर्गत अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर उपाधि को ही मान्य किया जाएगा ।

4. सेट- 2022 हेतु आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किये जाएंगे, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन ही करना है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न नहीं करना है । यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे सेट-2022 की पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञप्ति के अनुरूप न्यूनतम अर्हता रखते हैं अथवा नहीं । केवल प्रावधिक रूप से सेट-2022 के प्रमाण-पत्र के लिये अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ के कार्यालय में डाक द्वाराया व्यक्तिश: निर्दिष्ट अन्तिम तिथि तक जमा कराना है। यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदकों को अर्हता प्रमाण-पत्रों से वंचित किया जायेगा व उसके विरूद्ध दण्डातमक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी

5. सेट-2022 की परीक्षा में वर्णित शर्तो के अनुरूप अभ्यर्थी अपने सभी आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति आवेदन करने के साथ ही अपने पास तैयार रखें ताकि आयोग द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर समय-सीमा में प्रस्तुत कर सकें ।

6- सेट- 2022 परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। पात्रता परीक्षा के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा, यदि वह राज्य पात्रता परीक्षा 2022 में अर्ह भी पाया जाता है तो असत्य जानकारी पाई जाने पर अर्हता प्रमाण-पत्र से वंचित किया जाएगा ।

दो: अनर्हता:-

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट- 2017-18 में, जिस विषय में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके है वे अभ्यर्थी पुनः सेट-2022 हेतु उसी विषय में आवेदन न करें। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में यू.जी.सी.-नेट, सी.एस.आई.आर.-नेट, मध्य प्रदेश-स्लेट/सेट के जिस विषय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं वे सेट 2022 की परीक्षा में उसी विषय हेतु आवेदन न करें। यदि वे आवेदन करते है तो उन्हें प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएंगा व दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ।

तीन: परीक्षा योजना :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के परिपालन में परीक्षा योजना निम्नानुसार आयोजित की जाएंगी :-

राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2022 में कुल दो प्रश्न-पत्र होंगे।

1. **प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) :- सामान्य प्रश्न-पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति** (General Paper on Teaching and Research Aptitude)**वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्न 50(पचास) होंगे । अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न-पत्र कुल 100 (सौ) अंकों का होगा एवं परीक्षा अवधि एक घंटा (60 मिनिट) होगी ।**

2. **द्वितीय प्रश्न-पत्र :- चयनित (ऐच्छिक) विषय का होगा। द्वितीय प्रश्न-पत्र में कुल 100 (सौ) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा । प्रश्न-पत्र पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतय: वस्तुनिष्ठ** (Objective Type Question) **प्रकार का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नः- सुमेलित टाइप, सत्य/असत्य, कथन कारण प्रकार के** (Multiple Choice Question : Matching, True/False, Assertion Reasoning Type) **होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 (दो सौ) अंकों का होगा एवं परीक्षा अवधि दो घंटा (120मिनिट) होगी। परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अन्तराल के तीन घंटे होगी।**

प्रश्न पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा अवधि
प्रथम	100	50 प्रश्न, सभी अनिवार्य	01 घंटा (60 मिनिट)
द्वितीय	200	100 प्रश्न,सभी अनिवार्य	02 घंटा (120 मिनिट)

टीपः- **सेट-2022 में** Chemical Science, Earth Science, Life Science, Mathematical Science, Physical Science, **विषय के परीक्षा प्रारूप भी यू.जी.सी. नेट परीक्षा प्रारूप के अनुसार रहेगा । सी.एस.आई.आर. के निर्देशानुसार** Mathematical Science **के पाठ्यक्रम में** 4 **इकाई हैं जो गणित एवं सांख्यिकी के अभ्यार्थी के लिये इकाई अनुसार विभाजित है ।इस विषय के पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक निर्देश उच्चशिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाएँगे।Music और Performing Arts के पाठ्यक्रम के आवश्यक निर्देश भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे ।**

1. **प्रश्न-पत्र हल करते समय दिव्यांगजनों के सह-लेखक की योग्यता स्नातक अथवा उससें कम होनी चाहिये । सह-लेखक लेने की स्थिति में प्रथम प्रश्न-पत्र में** 20 **मिनिट तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में** 40 **मिनिट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा । केवल ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जिन्हें वर्णित श्रेणी में सह-लेखक की पात्रता है के लिए परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अन्तराल के चार घंटे होगी। सह-लेखक हेतु पात्र दिव्यांगजन अभ्यर्थी सहलेखक की अनुमति हेतु केन्द्राध्यक्ष से परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर तथा घोषणा-पत्र भरकर अनुमति प्राप्त करें।**

2. **किसी भी प्रश्न-पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन** (Negative Marking) **नहीं होगा।**

नोट :- सभी विषयों की परीक्षा की तिथि 04 जुन, 2023 एवं समय सारणी आयोग की वेबसाइट पर पृथक से विज्ञप्ति द्वारा जारी की जाएगी तथा अभ्यर्थी के प्रवेश-पत्र पर भी अंकित रहेगा।

चार: पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश :-

पाठ्यक्रम/परीक्षा योजना संबंधी समस्त निर्देश, किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जाएगा । संबंधित विषय का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से प्राप्त करें। राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2022 के विषय एवं उनके स्नातकोत्तर विषयों व स्नातकोतर, उपाधि, की सूची हेतु (परिशिष्ट-1)।

पांच:- परीक्षा परिणाम की घोषणा:-

सेट 2022 का परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति/नियम के अनुसार (म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप निर्धारित की जाएगी ।

प्रथम चरण - सर्वप्रथम समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप निर्धारित की जाएगी ।

द्वितीय चरण - द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 06 प्रतिशत के प्राप्त कुल अर्ह संख्या (स्लॉट) को मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार (म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) विभिन्न श्रेणीयों के लिये निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार अर्ह संख्या (स्लॉट) आवंटित कर दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत श्रेणियों हेतु आरक्षित किया जाएगा । प्रत्येक श्रेणी में महिला प्रवर्ग हेतु होरिजोन्टली 33 प्रतिशत आरक्षण होगा । दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार राज्यशासन के निर्देशानुसार दिव्यांजन के प्रवर्ग में दिव्यांगजन की श्रेणी अनुसार में कुल होरिजोन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा ।

तृतीय चरण - सेट परीक्षा के प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर अर्ह (स्लॉट) ज्ञात की जाएगी ।

क्र.	श्रेणी	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र
		दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत	
1	अनारक्षित श्रेणी	40%	
2	आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), EWS एवं दिव्यांगजन	35%	

चतुर्थ चरण - विषयवार एवं वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जाएगा ।

विषय के उन अभ्यार्थियों की संख्या
जिन्होने उस श्रेणी में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली है X उस श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हतासंख्या (स्लॉट)
-- =
उस श्रेणी के समस्त विषयों के न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों की संख्या

A. यदि अर्हता संख्या (स्लॉट) निर्धारण में प्रतिशत दशमलव में प्राप्त होता है तो:-

(अ) यदि अर्हता (स्लॉट) प्रतिशत 1 से कम तथा दशमलव में हो तो उसे एक माना जाएगा ।

(ब) यदि अर्हता (स्लॉट) प्रतिशत 1 से अधिक हो तो उसे समीपस्थ पूर्णांक प्रतिशत में समायोजित किया जाएगा ।

B. विषयवार श्रेणियों एवं वर्गों में स्लॉट विभाजन की गणना के प्रतिशत में परिणाम दशमलव में प्राप्तहोने पर 0.5 के पूर्व दशमलव अंकों को पूर्ववर्ती पूर्णांक में तथा 0.5 एवं उससे अधिक होने पर अपने पश्चातवर्ती पूर्णांक में समायोजित किया जाएगा । परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें ।

छः श्रेणी/वर्ग के आरक्षण के संबंध में निर्देश :-

1. समस्त आरक्षण मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग,महिला वर्ग व दिव्यांगजन आवेदकों को देय छूट, केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी, अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को कोई छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होगा।

2. मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं आवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग में भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किये जायेंगें तथा उन्हे छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

3. छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला आवेदक तथा दिव्यांग के रूप में मान्य है, तथा अन्य प्रदेशों के निःशक्तजन अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित श्रेणी में विचारित किया जाएगा ।

4. मध्यप्रदेश के बाहरी राज्यों के अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला आवेदक तथा दिव्यांगजन उम्मीदवार अपना वर्ग ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अनारक्षित लिखें।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/EWS/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का जाति प्रमाण-पत्र मध्य प्रदेश शासन के प्राधिकृत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जारी या ई-सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

6. मध्यप्रदेश के निःशक्तजन अभ्यर्थियों को केवल जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक के स्थायी, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर ही आरक्षण देय होगा।

7. दिव्यांगजनको उन की दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार राज्यशासनके निर्देशानुसार दिव्यांगजन के प्रवर्ग में निःशक्तजन की चार श्रेणी मेंकुल होरिजोन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा ।मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 597, भोपाल दिनांक 21 नवम्बर 2022 में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापक पदों में दिव्यांगजन की चार श्रेणी में से कॉलम 9 में उल्लेखित (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग, डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता श्रेणी के दिव्यांगजनों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा एवं इस श्रेणी के आरक्षण

प्रतिशत को अन्य तीन श्रेणियों में सम्मिलित किया जाएगा) library and Information Science एवं Physical Education विषय के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की आरक्षित तीन श्रेणियों में से दृष्टिबाधित श्रेणी के उम्मीद्वार यह ध्यान रखें कि उक्त राजपत्र के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन ने दृष्टिबाधित और कम दृष्टि की श्रेणी के लिए ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पद आरक्षित नहीं किये हैं ।

8. सेट- 2022 की पात्रता परीक्षा हेतु यात्रा व्यय की पात्रता किसी भी श्रेणी के अभ्यार्थियों को नहीं होगी।

सात: परीक्षा शुल्क:-

अनारक्षित श्रेणी महिला आवेदक अनारक्षित श्रेणीएवं EWS हेतु रूपये 500/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।) तथा आरक्षित श्रेणी (मध्यप्रदेश के मूल निवासी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु रूपये 250/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।) परीक्षा शुल्क देय होगा।

250/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यार्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रू. दो सौ पचास देय होगा ।	500/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।) अनारक्षित श्रेणी, EWS सामान्य श्रेणी महिला आवेदक व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी - अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क पॉच सौ रूपये देय होग ।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि 27-01-2023	
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26-02-2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 01-02-2023 से 28-02-2023 तक (दोपहर 12:00 बजे तक)	रू.50/- प्रति सत्र
विलंब शुल्क I के साथ - प्रथम चरण	
विलंब शुल्क I के साथ ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि दिनांक 01/-03/-2023 से 10-03-2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	रू.3000/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।)
त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क प्रथम चरण के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 02-03-2023 से 14-03-2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	रू.50/- प्रति सत्र
विलंब शुल्क के साथ - द्वितीय चरण	
विलंब शुल्क II के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि दिनांक 15-03-2023 से 21-03-2023 (दोपहर 12.00 बजे तक)	रू.25000/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।)
त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क II के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 17-03-2023 से 24-03-202 तक (दोपहर 12.00 बजे तक)	रू.50/- प्रति सत्र

आठ:- ऑफलाइन परीक्षा के शहर:-

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
1	इन्दौर	4	जबलपुर	7	सागर	10	शहडोल
2	भोपाल	5	रीवा	8	उज्जैन	11	खरगोन
3	ग्वालियर	6	सतना	9	नर्मदापुरम	12	रतलाम

जिन शहरों में 100 से कम अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र प्राप्त होंगे उन शहरों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा ।

शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेशः-

टीपः-

1. आवेदक परीक्षा शहर सावधानीपूर्वक चुने। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से परीक्षा शहरों/केन्द्रों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है।

2 अभ्यर्थी उपरोक्त तालिका में उल्लेखित शहर में से उसकी अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम चार शहर चुन सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किये जाए।

3 आयोग के (सेट प्रकोष्ठ) प्रशासनिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से भिन्न शहर आवंटित कर सकता हैं तथा शहरों की संख्या कम या अधिक कर सकता हैं या परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

4 आयोग (सेट प्रकोष्ठ) द्वारा आवंटित केन्द्र/शहर के परिवर्तन के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5 आवंटित केन्द्र का एक दिन पूर्व अवलोकन करना उचित होगा ।

6 म.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा संचालन की सुविधा अनुसार केन्द्र का आवंटन अंतिम रूप से आयोग द्वारा निर्धारित होंगे ।

नोंः- आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

क्र.	परिशिष्ट क्रमांक	परिशिष्ट का विषय
1	परिशिष्ट -1	राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2022, 36 विषय के एवं उनके स्नातकोत्तर विषयोंस्नातकोत्तर उपाधियों की सूची। अभ्यर्थी संबंधित विषय का पाठ्यक्रम एवं अनिवार्य प्रश्न-पत्र का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं ।
2	परिशिष्ट -2	ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश एवं जानकारियाँ ।
3	परिशिष्ट -3	परीक्षा के संदर्भ के आवश्यक निर्देश एवं जानकारियाँ।
4	परिशिष्ट -4	दिव्यांगजन के सहलेखक हेतु मान्य परिचयपत्र हेतु सूची
5	परिशिष्ट -5	परीक्षा के पूर्व व पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश
6	परिशिष्ट -6	सेट 2022 के विषयों के पाठ्यक्रम की सूची
7	परिशिष्ट -7	दिव्यांगजन सहलेखक घोषणा-पत्र ।
8	परिशिष्ट -8	अभ्यर्थी द्वारा जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची एवं अभ्यर्थी का घोषणा-पत्र

----XXX----

परिशिष्ट - 1

नोट :- सेट परीक्षा 2022 के लिये प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य):- सामान्य प्रश्नपत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude) वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा जो सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है तथा इसका पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

नोट- यू.जी.सी.नेट व सी.एस.आई .आर .नेट के विषयान्तर्गत म .प्र .उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1093/ 104/ सी.सी /38, दिनांक 23/12/2022 के अनुसार SET परीक्षा के विषय एवं के स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची उच्च शिक्षा विभाग म .प्र. शासन से अनुमोदित हैं। सेट परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग -सेट-2022 की परीक्षा में 36 SET परीक्षा के विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची निम्नानुसार है:-

	अनिवार्य प्रथम प्रश्न-पत्र	General Paper on Teaching & Research Aptitude सामान्य प्रश्न-पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति
S.No.	ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न-पत्र के सेट - विषय	स्नातकोत्तर स्तर के विषय
1	Library and Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)	1.Library Science (पुस्तकालय विज्ञान) 2.Library andInforamation Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)
2	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)	Physical Education (शारीरिक शिक्षा)
3	Arabic (अरबी)	Arabic (अरबी)
4	Commerce (वाणिज्य)	Commerce (वाणिज्य)
5	Computer Science & Application (संगणक विज्ञान एवं उपयोग)	Computer Science (संगणक विज्ञान), Computer Application (संगणक उपयोग)
6	Criminology (अपराध विज्ञान)	Criminology (अपराध विज्ञान)
7	Defence and stategic studies (रक्षा और रणनीतिक अध्ययन)	Millitary science (सैन्य विज्ञान)
8	Economics (अर्थशास्त्र)	Economics (अर्थशास्त्र) Master of business Economics (एम.बी.ई.) Applied economics (व्यवहारिक अर्थशास्त्र) (MBA Business Economics) (एम.बी.ए. व्यवसायिक अर्थशास्त्र)
9	Electronic Science (इलेक्ट्रॉनिक विज्ञानं)	Electronic Science (इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान)
10	English (अंग्रेजी)	English (अंग्रेजी)
11	Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान)	Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान)
12	Geography (भूगोल)	Geography (भूगोल)
13	Hindi	Hindi (हिन्दी)

	(हिन्दी)	Linguistics (भाषा विज्ञान)
14	History (इतिहास)	History (इतिहास) Modern History (आधुनिक इतिहास) Medieval History (मध्यकालीन इतिहास) Ancient History (प्राचीन इतिहास)
15	Home science (गृह विज्ञान)	Home science (गृह विज्ञान)
16	Law (विधि)	Law (विधि)
17	Marathi (मराठी)	Marathi (मराठी)
18	Music (संगीत)	Music (संगीत) Music Instrument (संगीत वादन), Music Vocal (संगीत गायन)
19	Performing Arts (Dance, Drama,Theatre) (कलामंच, नृत्य-नाटक, थिएटर)	Dance (नृत्य)
20	Persian (फारसी)	Persian (फारसी)
21	Philosophy (दर्शनशास्त्र)	Philosophy (दर्शनशास्त्र)
22	Political science (राजनीति विज्ञान)	Political science (राजनीति विज्ञान) Public Administration (लोक प्रशासन) International relation (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)
23	Psychology (मनोविज्ञान)	Psychology (मनोविज्ञान) Clinical Psychology (चिकित्सीय मनोविज्ञान) Applied Psychology (व्यवहारिक मनोविज्ञान)
24	Public Administration (लोक प्रशासन)	Public Administration (लोक प्रशासन)
25	Sanskrit (संस्कृत)	Sanskrit(संस्कृत)
26	Sanskrit Traditional Subjects (संस्कृत परम्परागत विषय)	Sanskrit Astrology (संस्कृत ज्योतिष) Sanskrit Oriental (संस्कृत प्राच्य) Sanskrit Literature (संस्कृत साहित्य) Sanskrit Grammar (संस्कृत व्याकरण) Sanskrit Literature Oriental (संस्कृत साहित्य प्राच्य)
27	Social Work (सामाजिक कार्य)	Social Work (सामाजिक कार्य)
28	Sociology (समाज शास्त्र)	Sociology (समाज शास्त्र) Anthropology (मानव शास्त्र) Social Work (सामाजिक कार्य)
29	Urdu (उर्दू)	Urdu (उर्दू)
30	Visual Arts (विजुअल आर्टस)	Drawing and painting (चित्रकला)
31	Yoga (योग)	Yoga (योग)

32	Chemical Sciences (रसायन विज्ञान)	Chemistry (रसायन शास्त्र) Organic Chemistry (कार्बनिक रसायन शास्त्र) Physical Chemistry (भौतिक रसायन शास्त्र) Applied Chemistry (व्यवहारिक रसायन शास्त्र) Environment Chemistry (पर्यावरण रसायन शास्त्र) Pharmaceutical Chemistry (फार्मास्युटिकल रसायन शास्त्र) Inorganic Chemistry (अकार्बनिक रसायन शास्त्र) Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायन शास्त्र) Analytical Chemistry (विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र)
33	Erath,Atmospheric,Ocean and Planetary Sciences (पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और गृह विज्ञान)	Geology (भूगर्भ शास्त्र) Applied Geology (व्यवहारिक भूगर्भ शास्त्र) Palaentology (पैलेन्टोलॉजी) Geophysics (जियोफिजिक्स) Earth Science (भूविज्ञान) Remote sesing (रिमोट सेन्सिग)
34	Life Sciences (जीव विज्ञान)	Botany (वनस्पति शास्त्र) Zoology (प्राणी शास्त्र) Bio Chemistry (जीव रसायन) Microbiology (सूक्ष्म जीव विज्ञान) Biotechnology (जैव प्रौद्योगिकी) Bio Science (जीव विज्ञान) Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान) Bioinformatic science (बायो इंफरमेटिक्स साइंस) Fisheries (मत्स्य विज्ञान) Aquaculture (मत्स्य पालन) Limnology (सरोवर विज्ञान) Entomology (कीट विज्ञान) Genetics (अनुवांशिकी) Genetic Engineerimg (अनुवांशिकी यांत्रकी) Life Science (जीव विज्ञान) Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान) Seed Technoogy (बीज तकनीकी)
35	Mathematical Sciences (गणितीय विज्ञान)	Mathematics (गणित) Computational Mathematics (संगणन गणित) Applied Mathematics (व्यावहारिक गणित) Industrial Mathematics (औद्योगिक गणित) Mathematical Science (गणितीय विज्ञान)
36	Physical Sciences (भौतिक विज्ञान)	Physics (भौतिकी) Applied Physics (व्यावहारिक भौतिकी) Material Science (पदार्थ विज्ञान) Electronics (इलेक्ट्रॉनिक्स)

01. संस्कृत विषय हेतु स्नातकोत्तर उपाधि एम.ए. तथा संस्कृत परम्परागत विषय हेतु स्नातकोत्तर उपाधि आचार्य मान्य होगी ।

02. मान्य स्नातकोत्तर उपाधि की सूची :-

NO	स्नातकोत्तर उपाधि
1	Master of Commerce (M.Com.)
2	Master of Library Science (M. Lib.Sc)
3	Master of Literature (M.Litt.)
4	Master of Computer Application (M.C.A.)
5	Master of Social Work (MSW)
6	Master Of Science (M. Sc.)
7	Master of Statistics (M. Stat.)
8	Master of Arts (M.A.)
9	Acharya (Sanskrit Traditional)
10	Master of Physical Education (M.P. Ed.)
11	Master of Physical Education & Sports Science (MPES)
12	Integrated BS-MS
13	Master of Law (LLM)

परिशिष्ट-2

<u>(ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों हेतु निर्देश एवं अन्य जानकारी)</u>

राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2022 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है:-

1. उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र वेबसाइट: - www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे ।

2. अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। आवेदन-पत्र दिनांक 27/1/2023 से 26/2/2023 (दोपहर 12.00 बजे तक) भरे जा सकते हैं। सेट-2022 हेतु आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किये जाएगे, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन ही करना है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न नहीं करना है । केवल प्रावधिक रूप सेसेट 2022 के प्रमाण'पत्र के लिये अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को ही आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ के कार्यालय में रजिस्ट्र्ड/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा या व्यक्तिश:निर्दिष्ट जमा कराना है । यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो आवेदकों को अर्हता प्रमाण-पत्रों से वंचित किया जायेगा व उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

3. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे सेट-2022 परीक्षा के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन भरने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन भरें तथा अपने आवश्यक दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित आवश्यक छायाप्रतियाँ आवेदन भरने के समय से ही अपने पास सुरक्षित रखे व माँगे जाने पर आयोग कार्यालय को परीक्षण हेतु उपलब्ध करायें ।

4. अभ्यर्थी स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अलावा नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

5. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज फोटो नाम सहित हस्ताक्षर युक्त स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न (अपलोड) करें आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं । अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेज अभ्यर्थी को ऑनलाइन संलग्न नही करना है । हाईस्कुल/हायरसेकेण्ड्री, स्नातक, स्नातकोत्तर की अंकसूची जाति प्रमाण-पत्र, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड, दिव्यंगता प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें । केवल प्रावधिक रूप से सेट 2022 के प्रमाण-पत्र के लिये अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ के कार्यालय में व्यक्तिश: या डाक द्वारा निर्दिष्ट अन्तिम तिथि तक जमा कराना है ।

6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी सोच-समझकर, सावधानीपूर्वक एवं सही रूप में भरें।

7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया में अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वह अभ्यर्थी द्वारा पूर्णतः सत्य भरी गई है।

8. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क :-

250/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यार्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रू. दो सौ पचास देय होगा ।	500/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।) अनारक्षित श्रेणी, EWS सामान्य श्रेणी महिला आवेदक व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी - अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क पॉच सौ रूपये देय होग ।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि 27/01/2023	
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/02/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 01/02/2023 से 28/02/2023 तक (दोपहर 12:00 बजे तक)	रू.50/- प्रति सत्र
विलंब शुल्क- प्रथम चरण	
विलंब शुल्क- प्रथम चरण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि दिनांक 01/03/2023से 10/03/2023 (दोपहर 12.00 बजे तक)	रू.3000/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।)
त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ प्रथम चरण के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 02/03/2023 से 14/03/2023 (दोपहर 12.00 बजे तक)	रू.50/- प्रति सत्र
विलम्ब शुल्क के साथ - द्वितीय चरण	
विलंब शुल्क द्वितीय चरण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि दिनांक 15/03/2023से 21/03/2023 (दोपहर 12.00 बजे तक)	रू.25,000/- (40 रूपयें पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा।)
त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 17/03/2023से 24/03/2023 (दोपहर 12.00 बजे तक)	रू.50/- प्रति सत्र

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी हेतु आयोग के निम्न हेल्प लाइन पर कार्यालयीन समय में प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक, (अवकाश दिवसो को छोड़कर) सम्पर्क करें: -

हेल्पलाइन:- 0731-2701086

10. आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएँ अर्थात उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म, तिथि, श्रेणी, लिंग, आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण करने के पश्चात popup window में Ok करने पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में घोषणा पत्र प्राप्त होगा। जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा ।

11. उक्त घोषणा-पत्र अभ्यर्थी द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़कर, उपयुक्त स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, उसे स्कैन कराकर, स्कैन की गयी फाईल को पुनः ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ उपयुक्त स्थान पर अपलोड करना है। वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र भलि-भांति पढ़कर, सोच-समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।

12. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करलें कि आवेदन-पत्र Submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण हुई अथवा नहीं । तत्पश्चात अभ्यर्थी को उसका सम्पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होगा। जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा। जिसमें भुगतान राशि तथा "PAYMENT DONE" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी संपूर्ण आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न नहीं करना है । केवल प्रावधिक रूप से सेट 2022 के प्रमाणपत्र के लिये अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट याव्यक्तिशः आयोग कार्यालय में निम्न पते पर निर्दिष्ट अन्तिम तिथि तक जमा कराना है-

"सेट प्रकोष्ट, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर (म.प्र.) पिन कोड- 452001."

अभ्यर्थी आवश्यक होने पर भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्र व्यवहार में ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख आवश्यक रूप से करें ।

13. त्रुटि सुधार सुविधा :-

(क)	आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरे। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर बिना विलम्ब शुल्क के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 01/02/2023 से 28/02/2023 दोपहर 12:00 बजे तक प्रति सत्र रूपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इसके पश्चात विलम्ब शुल्क की देय राशि के साथ विज्ञापन में उल्लेखित तिथि के अनुसार त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। किन्तु विलम्ब शुल्क की त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 24/03/2023 के पश्चात किसी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा और न ही इस विषय में किसी प्रकार पश्चातवर्ती आवेदन मान्य किया जाएगा।
(ख)	अनारक्षित श्रेणी, अनारक्षित श्रेणी महिला आवेदक, EWS, हेतु परीक्षा शुल्क 500/- रू. तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250/- रू. निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गये आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रूपये /- त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गये आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
(ग)	ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/ EWS अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला वर्ग/दिव्यांगजन, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि व न्यूनतम अर्हता इत्यादि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग शैक्षणिक अर्हता इत्यादि परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

14. आवेदक यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर को ही, वे परीक्षा की उपस्थिति पत्र तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

15. सेट-2022 परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। पात्रता के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी ।

16. चूँकि सेट परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है। अतः किसी भी श्रेणी/वर्ग के अभ्यार्थियों को सेट-2022 परीक्षा हेतु यात्रा व्यय के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

17. अनुशासनिक निर्देशः-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है:-

1. जिसमें अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या
2. प्रतिरूपण किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो, या
4. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो,या
5. ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हो या जिसने परीक्षा के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत तथ्य छुपाया हो, या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
8. परीक्षा संचालन में लगे अधिकारी/कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
9. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य अधिकारी/कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
10. परीक्षा कक्ष में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

<u>तब आयोग द्वारा</u> :-

क. उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा ।

और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

ख. यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

ग. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

18. अनर्हतायें: - ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया हैं।

19. अत्यंत महत्वपूर्णः- आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्नानुसार मान्य फोटो युक्त पहचान-पत्र प्रस्तुत करने तथा उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात् ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी।

1. पासपोर्ट, 2. मतदाता पहचान-पत्र, 3. ड्रायविंग लायसेंस, 4. पैन कार्ड, 5. आधार कार्ड,

6. शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय-पत्र,

7. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक,

8. शैक्षणिक संस्थान द्वारा नवीनतम या अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक जारी परिचय-पत्र,

9. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र ।

परिशिष्ट-3

<u>ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश एवं जानकारियाँ</u>

<u>ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है:-</u>

(अ) परीक्षा पूर्व निर्देशः-

प्रवेश-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया:-

परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in में निर्धारित लिंक पर आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। अभ्यर्थी के प्रवेश-पत्र पर परीक्षा की तिथि एवं समय अंकित होगा। प्रवेश-पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक गुम हो गया है तो वे आनलाइन रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डाल कर O.T.P (One Time Password)हेल्प लाइन नम्बर (आयोग द्वारा जारी) वेबसाइट पर उपलब्ध Know Your Application Number लिंक से प्राप्त कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हॉल टिकट प्रवेश पत्र (ऑनलाइन एडमिट कार्ड) तैयार किया जाएगा। यह सभी उम्मीदवारों को SET परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले उसी वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा जहाँ से उम्मीदवार ने अपना SET आवेदन-पत्र ऑनलाइन जमा किया था। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड/हॉल टिकट डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट प्राप्त करना होगा। परीक्षा के दिन उम्मीदवार को एडमिट कार्ड और एक अतिरिक्त फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. आदि ले जाना चाहिए।

1 यदि आवेदक अपने प्रवेश-पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है या छेडछाड़ करता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प शहर के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नंबर प्रदाय किये जावेंगे।

3 अभ्यर्थियों हेतु हेल्प लाईन नंबर के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ कार्यालयीन समय में प्रातः 10.30 बजे से 5:30 बजे तक, (अवकाश दिवस को छोड़कर) समुचित व्यवस्था की जाएगी:-

हेल्पलाईन नंबर:-0731-2701086

4 अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंम्भ होने के 01 घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके। इस प्रक्रिया में समय लगता हैं, अतः अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंम्भ होने के 01 घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नही होगी।

5 अभ्यर्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लाए ।

6 दिव्यांगजन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है:-

दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सनस विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

अ. उक्त श्रेणी के केवल ऐसे दिव्यांगजन को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जो सह-लेखक का प्रयोग करेंगे।

ब. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक की पात्रता होगी, को परीक्षा प्रश्न-पत्र हल किये जाने हेतु निर्धारित समय के 20 मिनिट प्रति घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जावेगा, इस हेतु अभ्यर्थी सह-लेखक की अनुमति हेतु केन्द्राध्यक्ष से परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर तथा घोषणा-पत्र भरकर अनुमति प्राप्त करें ।

स. सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी, जिसकी अनुमति केन्द्राध्यक्ष से अभ्यर्थी को लेनी होगी।

द. आयोग द्वारा सह-लेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और न ही सह-लेखक को किसी भी प्रकार का मानदेय/ यात्रा भत्ता का भुगतान किया जावेगा।

इ. अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूलफोटो युक्त मान्य परिचय-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (मान्य परिचय-पत्र सूची हेतु देखे परिशिष्ट-4

उ. सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केन्द्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी,इस हेतु अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व ही केन्द्राध्यक्ष से संपर्क करें ।

ऊ सह-लेखक की सुविधा हेतु दिव्यांगजन अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा-मंडल/संभागीय चिकित्सा-मंडल/राज्य चिकित्सा-मंडल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगी। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

परिशिष्ट - 4

(दिव्यांगजन के सह-लेखक हेतु मान्य परिचय पत्र हेतु सूची)

आयोग द्वारा निम्न फोटो- आई.डी. कार्ड (पहचान पत्र) मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति अभ्यर्थी को साथ में लाना आवश्यक होगा। इनकी फोटोकॉपी मान्य नहीं की जावेगी:-

1. पासपोर्ट
2. मतदाता पहचान-पत्र
3. ड्रायविंग लायसेंस
4. पैन कार्ड
5. आधार कार्ड
6. शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय-पत्र
7. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
8. शैक्षणिक संस्थान द्वारा नवीनतम या अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक जारी परिचय-पत्र
9. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र

परिशिष्ट - 5

(परीक्षा के पूर्व व पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश)

1. अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने के पश्चात परीक्षार्थी के मूल फोटो का परिचय-पत्र, एडमिट कार्ड एवं फोटो की जांच प्रवेश-पत्र एवं अभ्यर्थी के साथ मिलान किया जाएगा ।
2. परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व तलाशी (Frisking) की जावेगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएँ अन्दर न ले जा सके।
3. परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुएँ:- इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

   अ. सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि अभ्यर्थी अपने कपड़ों, कफलिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के डिवाइस का प्रयोग करते हैं ।

   ब. परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। अभ्यर्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर कक्ष में आ सकते है। चेहरे को ढक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।

   स. एसेसिरीज:- जैसे बालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/ वॉलेट टोपी वर्जित हैं।

द. सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले समस्त प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों को कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

04. आयोग द्वारा निम्न फोटो- आई.डी. कार्ड (पहचान पत्र) मान्य किये गये है, इन में से किसी एक की मूल प्रति अभ्यर्थी को साथ में लाना आवश्यक होगा। इनकी फोटोकॉपी मान्य नहीं की जावेगी:-

1. पासपोर्ट,2. मतदाता पहचान-पत्र, 3. ड्रायविंग लायसेंस, 4. पैन कार्ड, 5. आधार कार्ड

05. शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय-पत्र

06. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक

07. शैक्षणिक संस्थान द्वारा नवीनतम या अधिकतम एक वर्ष पूर्व तक जारी परिचय-पत्र

08. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र

09. सेट-2022 ऑफलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषताएँ :- यह परीक्षा ऑफलाइन मोड पर आयोजित होगी । सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे । सेट 2022 में 02 (दो) प्रश्न-पत्र होंगे,प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य):- सामान्य प्रश्न-पत्र: शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude) द्वितीय प्रश्नपत्र : - चयनित (ऐच्छिक) विषय का होगा। परीक्षा सत्र की समयअवधि बिना अन्तराल के तीन घंटे होगी ।

1 संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी।

2 परिचय-पत्र एवं प्रवेश-पत्र के वेरीफिकेशन के पश्चात परीक्षार्थी को रूम में प्रवेश दिया जाएगा।

3 ऑफलाइन परीक्षा हेतु सभी केंद्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं जो प्रश्न-पत्र एवं ओ.एम.आर.शीट (उत्तरपुस्तिका) को आयोग से सुरक्षित रूप में प्राप्त कर केंद्रों पर पर उपलब्ध कराएंगे।

4 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे ।

5 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जाएगी। उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा।

6 परीक्षा ऑफलाइन मोड से आयोजित हो रही है अतः अभ्यर्थी ओ.एम.आर.शीट के आवश्यक निर्देशों को परीक्षा के समय ध्यान पूर्वक पढें।

<u>महत्वपूर्ण तिथियाँ सेट - 2022</u>

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि 27/01/2023	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/02/2023 दोपहर 12:00 बजे तक
त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलम्ब शुल्क के अभ्यर्थियों हेतु 01/02/2023 से 28/02/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
विलंब शुल्क के साथ I ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 01/03/2023 से10/03/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क I के अभ्यर्थियों हेतु 02/03/2023 से 14/03/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
विलंब शुल्क के साथ II ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 15/03/2023 से 21/03/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	
त्रुटि सुधार की अवधि विलम्ब शुल्क II के अभ्यर्थियों हेतु 17/03/2023 से 24/03/2023 दोपहर 12:00 बजे तक	

<u>पार्ट प्रथम</u> - आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश : -

1. ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग अभ्यर्थी को परीक्षा देते समय नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुये अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिये ।

2. अभ्यार्थी अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बॉल पाईन्ट पेन अवश्य लाए ।

3. गोले भरे के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें । गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें। अधुरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर.शीट स्कैनर द्वारा नहीं जॉची जा सकेगी ।

4. ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए । इस कार्य के लिए प्रश्न-पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है ।

5. ओ.एम.आर.शीट अत्यंत सावधानीपूर्वक रखें । उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा ।

6. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर.शीट पर सभी प्रविष्टियॉ सही रूप से की गई है । अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न-पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर ओ.एम.आर. का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

7. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है । एक से अधिक गोले को काला करने पर गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधुरा काला करने पर या किसी अन्य पेंसिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान लगाने पर ओ.एम.आर.शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी।

<u>पार्ट द्वितीय</u> - ओ.एम.आर.शीट पर उत्तर अंकन के लिये - सामान्य निर्देश

1. अभ्यार्थी परीक्षा देते समय प्रश्नों के उत्तर ओ.एम.आर.शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश ध्यान से पढ़े ।

2. ओ.एम.आर.शीट में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/वाईटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा ।

3. ओ.एम.आर.शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न-पत्र कोड आदि भरने के लिये बने खाने में प्रविष्टि के लिए काले बॉल पेन का उपयोग करें । प्रश्न-पत्र ए.बी.सी.डी. सेट में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरे एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें ।

4. हस्ताक्षर ओ.एम.आर.शीट पर निर्धारित स्थान पर बॉल पेन से हस्ताक्षर करें ।

5. रोल नम्बर की प्रविष्टि दिये गये निर्देश अनुसार करें । अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर ओ.एम.आर. का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा । अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

6. परीक्षार्थी को प्रत्येक सत्र के बाद उत्तरपुस्तिका वीक्षक को सौपनें के पश्चात एवं वीक्षक के निर्देश के पश्चात ही कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी ।

परीक्षा पश्चात कार्य प्रक्रिया -

1. ऑफलाइनपरीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय पर परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों और उसके प्रावधिक उत्तरों की कुंजी तैयार कर, आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध होगी ।

2. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाईन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में प्रश्न-पत्र से संबंधित प्रश्नों से आपत्तियॉ आमंत्रित की जाएगी। उक्त अवधि के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा केवल ऑनलाइन प्राप्त आपत्तियों पर ही, आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु रूपये 100/- शुल्क देय होगा। आपति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति सही पाये जाने पर वापस किया जाएगा।

<u>प्राप्त आपत्तियों पर विषय-विशेषज्ञों की समिति द्वारा विचार कर निम्नलिखित अनुसार प्रश्न-पत्र से संबंधित प्रश्नों की त्रुटि निवारण की कार्यवाही की जाएगी:-</u>

अ. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है, और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा।

ब. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा।

(1) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो।

(2) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हो।

(3) प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो जिससे प्रश्न का मूल स्वरूप में परिवर्तन हो ।

स. विषय-विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त ऑनलाइन प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगीतथा आयोग द्वार वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.inपर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरकुंजी पर अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।

उ. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किये गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

3. सेट-2022 के प्रथम प्रश्न-पत्र (अनिवार्य) एवं द्वितीय प्रश्न-पत्र (ऐच्छिक) में से किसी भी प्रश्न-पत्र में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को अनर्ह माना जाएगा। उन अभ्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट -6

निम्न पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है -

M.P.STATE ELIGIBILITY TEST SET-2022
SYLLABUS AS PER U.G.C.NET & C.S.I.R. U.G.C.NET

S.NO.	NAME OF SUBJECT	SYLLABUS IN Available Languages	SYLLABUS IN HINDI
00	अनिवार्य प्रथम प्रश्न-पत्र General Paper on Teaching & Research Aptitude	English	Hindi
	ऐच्छिक द्वितीय प्रश्न-पत्र		
1	Arabic	Arabic	
2	Chemical Sciences	English	
3	Commerce	English	Hindi
4	Computer Science & Application	English	
5	Criminology	English	Hindi
6	Defence& Strategic Studies	English	Hindi
7	Earth Sciences	English	
8	Economics	English	Hindi
9	Electronics Science	English	
10	English	English	
11	Environmental Science	English	
12	Geography	English	Hindi
13	Hindi	Hindi	Hindi
14	History	English	Hindi
15	Home Science	English	Hindi
16	Law	English	Hindi
17	Library & Information Science	English	Hindi
18	Life Science	English	
19	Marathi	Marathi	
20	Mathematical Sciences	English	
21	Music	English	Hindi
22	Performing Arts	English	Hindi
23	Persian	Persian	
24	Philosophy	English	Hindi
25	Physical Education	English	Hindi
26	Physical Science	English	
27	Political Science	English	Hindi
28	Psychology	English	Hindi
29	Public Administration	English	Hindi
30	Sanskrit	English	Hindi
31	Sanskrit Traditional	Hindi	Hindi
32	Social Work	English	Hindi
33	Sociology	English	Hindi
34	Urdu	Urdu	
35	Visual Arts	English	Hindi
36	Yoga	English	Hindi

परिशिष्ट - 7

(दिव्यांगजन सह-लेखक का घोषणा-पत्र)

मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि अभ्यर्थी...................... अनुक्रमांक ....के सह लेखक के रूप में ------------सेट-2022 की परीक्षा में सह-लेखक कार्य के लिए परीक्षा तिथि को उपस्थित हूँ मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातक/स्नातक से कम है । मैं वर्तमान में .... कक्षा की/का विद्यार्थी हूँ । मैं अपनी अंतिम अंक सूची की छायाप्रति परीक्षा केन्द्राध्यक को दे चुका/चुकी हूँ जिसे उन्होंने परीक्षा केन्द्र में जमा करा दिया गया है। मैं परीक्षा कक्ष के अनुशासनात्मक सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी । मेरे द्वारा असत्य जानकारी देने पर आयोग द्वारा की गई कार्यवाही मुझे मान्य होगी। मेरे द्वारा आयोग के विज्ञापन में उल्लेखित सह-लेखक के लिए मान्य परिचय-पत्र में से मेरे पास उपलब्ध परिचय-पत्र की छायाप्रति जमा करा दी गई है।

दिनांक ....

अभ्यर्थी के सह-लेखक हस्ताक्षर

नाम :- ....

पता :- ....

परिशिष्ट -8

<u>(अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची)</u>

(केवल प्रावधिक रूप से सेट-2022 के प्रमाण-पत्र के लिये अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ के कार्यालय में व्यक्तिश: या रजिस्ट्र्ड/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा निर्दिष्ट अन्तिम तिथि तक जमा कराना होंगे ।)

अ. **जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र - केवल हाईस्कूल/हायरसेकेण्ड्री अथवा मेंटिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो ।**

ब. **शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र - स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की अंक-सूची जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है/समस्त वर्षो/सेमेस्टर की अंक सूचियॉ ।**

स. **शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।**

द. **नि:शक्तता प्रमाणपत्र : यह प्रमाण-पत्र जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी होना चाहिये तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगजन प्रमाणित होना चाहिए ।**

इ. **जाति प्रमाण-पत्र : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडावर्ग/ का स्थायी जाति प्रमाण- पत्र/ EWS/ प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र देने को अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो । आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।**

ई. **विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा । अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नही होगा ।**

उ. **अन्य पिछडा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछडा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे प्रमाण-पत्र अन्य पिछडावर्ग को देय छूटों हेतु मान्य नहीं होंगे ।**

ऊ. **अभ्यर्थी का घोषणा-पत्र ।**

परिशिष्ट - 8/A

<u>(अभ्यर्थी का घोषणा-पत्र)</u>

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि (अभ्यर्थी का नाम)................................. पिता का नाम .... मैं सेट- 2022 की परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में शामिल हो रहा/रही हूँ । मैं सेट- 2022 के पूर्व जिस विषय में सेट का आवेदन कर रहा/रही हूँ उस विषय में मेरे द्वारा आज दिनांक तक सेट या यू.जी.सी. नेट या सी.एस.आई.आर., यू.जी.सी. नेट का पात्रता परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी पूर्णत: सत्य है तथा उसका मैंने अपने दस्तावेजों से मिलान कर लिया है। मैंने सेट- 2022 के विज्ञापन में वर्णित सभी शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ लिया है तथा वह मुझे मान्य है यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है या उनका मेरे द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों से मिलान नहीं हो पाता है या आयोग द्वारा दी गई निर्धारित समयावधि में दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता/रहती हूँ तो मुझे सेट - 2022 के अर्हता प्रमाण-पत्र से वंचित किया जा सकेगा व आयोग द्वारा प्रस्तावित की गई कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

दिनांक ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी का नाम)